राजस्व वाद 254A/ 2021
जीसीएमएस नंबर–
गंगाराम बनाम् हिम्मताराम वगैरह

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल, जिला नागौर

पीठासीन अधिकारी :– रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 254A / 2021

वादीगण–

1. गंगाराम पुत्र हिम्मताराम
2. सुखाराम पुत्र हिम्मताराम
3. सांवताराम पुत्र हिम्मताराम

जातियान जाट निवासीगण झाड़ेली, तहसील जायल जिला–नागौर।

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. हिम्मताराम पुत्र श्री भैरूराम
2. चेनी देवी पुत्री श्री हिम्मताराम
3. पूर्णाराम पुत्र श्री हिम्मताराम

जातियान जाट निवासीगण झाड़ेली, तहसील जायल जिला–नागौर।

4. तहसीलदार जायल जरिये सरकार।

उपस्थिति :–

1. श्री गोविन्दराम ढाका अधिवक्ता वादी की ओर से
2. श्री रामप्रकाश बेंदा अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से।
3. प्रतिवादी संख्या 4 राजपैरोकार उपस्थित

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

दावा अन्तर्गत धारा 88,53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय **दिनांक :** 22/11/2021

वादपत्र का संक्षिप्त विवरण एवं तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत जरिये अधिवक्ता पेश किया। वादीगण ने निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के बडेर की पुस्तैनी भूमि मौजा झाड़ेली तहसील जायल में खेत खसरा नं. 537/817 रकबा 4.9533 व खसरा नंबर 564 रकबा 6.6935 हैक्टेयर, खसरा नंबर 575 रकबा 4.4273 हैक्टेयर, खसरा नंबर 578 रकबा 0.3561 हैक्टेयर, खसरा नंबर 714/1 रकबा 0.2104 हैक्टेयर रहती चली आई है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने आपसी पारिवारिक जुबानी बंटवाड़ा सम्वत् 2074 में कर लिया है उसी अनुसार कब्जा काश्त है जिसका बंटवाड़ा स्कीम निम्न प्रकार से है। वादी संख्या 1 गंगाराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा झाड़ेली का खेत खसरा नंबर 564 रकबा 6.6935 हैक्टेयर में से 3.3346 हैक्टैयर पूर्वी भाग माफिक नजरीनक्शानुसार तथा खसरा नंबर 537/817 रकबा 4.9533 हैक्टेयर में से 0.7689 हैक्टेयर मध्य भाग माफिक नजरीनक्शानुसार रखा गया है। खसरा नंबर 564 रकबा 6.6935 हैक्टेयर में से 0.0243 हैक्टेयर दक्षिणी दिशा में सींव के पास मध्य भाग में राजहक में रास्ता हेतु रखा गया है। वादी संख्या 2 सुखाराम

22/11/2021
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा झाड़ेली का खेत खसरा नंबर 564 रकबा 6.6935 हैक्टेयर में से 3.3346 हैक्टैयर पश्चिमी भाग माफिक नजरीनक्शानुसार तथा खसरा नंबर 537/817 रकबा 4.9533 हैक्टेयर में से 0.7689 हैक्टेयर दक्षिणी भाग माफिक नजरीनक्शानुसार रखा गया है व खसरा नंबर 714/1 रकबा 0.2104 हैक्टेयर में से 0.0890 हैक्टेयर दक्षिणी दिशा का भाग माफिक नजरीनक्शानुसार रखा गया है। वादी संख्या 3 सांवताराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा झाड़ेली का खेत खसरा नंबर 575 रकबा 4.0792 हैक्टेयर पश्चिमी भाग माफिक नजरीनक्शानुसार तथा खसरा नंबर 714/1 रकबा 0.2104 हैक्टेयर में से 0.0890 हैक्टेयर उतरी दिशा का भाग माफिक नजरीनक्शानुसार रखा गया है व इसी खसरे में से 0.0324 हैक्टेयर पूर्वी तरफ रास्ता हेतु राजहक में मध्य भाग तक माफिक नजरीनक्शानुसार रखा गया है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 हिम्मताराम व चेनी देवी के संयुक्त हक बंट कब्जा काश्त में मौजा झाड़ेली का खेत खसरा नंबर 578 रकबा 0.3561 हैक्टेयर पूरा रखा गया है। प्रतिवादी संख्या 3 पूर्णाराम के हक बंट कब्जा काश्त में मोजा झाड़ेली का खेत खसरा नंबर 537/817 रकबा 4.9533 हैक्टेयर में से 3.4155 हैक्टैयर उतरी भाग माफिक नजरीनक्शानुसार रखा गया है तथा खसरा नंबर 575 रकबा 4.4273 हैक्टेयर में से 0.3480 हैक्टेयर पूर्वी तरफ से माफिक नजरीनक्शानुसार रखा गया है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के बीच आपसी पारिवारिक बंटवाड़ा हो जाने से माफिक बंट अनुसार अलग–अलग सींव–नींव कायम हो जाने के बावजूद बंटवाड़ा अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद नहीं होने तथा सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाने के कारण वाद पत्र प्रस्तुत किया है जिसे माफिक नजरी नक्शा वादपत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जावे तथा तहसीलदार जायल को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी करे।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 ने दिनांक 22.11.2021 को प्रशासन गांवों के संग अभियान कैम्प शिविर ग्राम पंचायत झाड़ेली में राजीनामा पेश किया। जिसमें वादी की पहचान अधिवक्ता श्री गोविन्दराम ढाका ने तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की पहचान अधिवक्ता श्री रामप्रकाश बेंदा ने की। राजीनामा शामिल पत्रावली किया गया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 4 स्वयं प्रशासन गांवों के संग अभियान कैम्प कोर्ट में उपस्थित है, जो वाद पत्र में केवल परफोर्मा पक्षकार है। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 द्वारा प्रकरण के संबंध में राजीनामा पेश होने तथा प्रतिवादी संख्या 4 राजपैरोकार के केवल परफोर्मा पक्षकार पेश होने के कारण प्रकरण में विवाद्यक बिन्दू (तनकीयात्) की आवश्यकता नहीं होने से तय नही किये गये तथा पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई।

वाद पत्र में दस्तावेजी साक्ष्य के सबूत के तौर पर शपथ पत्र गवाह गंगाराम पुत्र हिम्मताराम, सांवताराम पुत्र सुखाराम, सुखाराम पुत्र हिम्मताराम नकल जमाबन्दी ग्राम झाड़ेली तहसील–जायल सम्वत् 2073–2076 खाता संख्या 801 प्रदर्श–1, खाता संख्या 800–प्रदर्श 2 पेश हुवे। अधिवक्ता वादी द्वारा ओर साक्ष्य पेश नही करने के निवेदन पर साक्ष्य वादी बंद की

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

गई। चूंकि प्रकरण हाजा में प्रतिवादी संख्या 1 से 3 द्वारा पत्रावली में जरिये राजीनामा वाद पत्र को स्वीकार किया गया है। इसलिए प्रतिवादी साक्ष्य नहीं करवाने के निवेदन पर प्रतिवादी साक्ष्य बंद की जाकर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

उभय पक्षकारान एवं अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। वादी पक्ष के अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि वाद पत्र को माफीक राजीनामा में वर्णित पैराज माफिक नजरीनक्शानुसार स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादीगण सं. 1 से 3 के हक बंट की भूमि का जरिये राजीनामा आपसी सहमति बंटवारा होने की बात को स्वीकारा है तथा माफिक राजीनामा वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है तथा मुतदाविया खेताय की भूमि पुश्तैनी है तथा पक्षकारान् का कब्जा काश्त अनुसार नजरीनक्शा भी पेश किया है। अतः वाद पत्र में वर्णित खेताय का प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 22.11.2021 के अनुसार स्वीकार किया जावे तथा तहसीलदार जायल को माफिक बंटवाड़ा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी की जाने का निवेदन अधिवक्ता उभय पक्षकारान् ने किया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादीगण के वादपत्र, जमाबन्दी, शपथ पत्रादि व वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा पर मनन किया गया। प्रतिवादी संख्या 4 राजपैरोकोर को केवल परफोर्मा पक्षकार बनाया गया है। बंटवाडे के वादपत्र में जमाबंदी के अनुसार समस्त खातेदारान पक्षकार के रूप में संयोजित किये जाने अपेक्षित होते है। प्रत्येक खातेदार काश्तकार का वादग्रस्त खेतायों की भूमि में पृथक–पृथक हिस्सा अंकित है जिसके अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने–अपने हिस्से व बंट अनुसार अलग–अलग खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने के अधिकारी है साथ ही वादपत्र में प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 22.11.2021 में वादीगण तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 ने आपसी सहमति के अनुसार खातेदारी घोषणा तथा माफिक काबिज काश्त होना स्वीकार किया है व वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है। हमारी राय में मौजा झाड़ेली के वादग्रस्त खेतायों में सहखातेदार के रूप में संयोजित खातेदार अपने–अपने हिस्से का नियमानुसार सहखातेदारी करवा सकते है, चूंकि वादग्रस्त खेतायों में पक्षकारान द्वारा खसरा नं. खसरा नंबर 578 रकबा 0.3561 हैक्टेयर यथावत पूरा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के हक बंट में तथा शेष मुतदाविया खेत खसरा नंबर 537/817 रकबा 4.9533 व खसरा नंबर 564 रकबा 6.6935 हैक्टेयर, खसरा नंबर 575 रकबा 4.4273 हैक्टेयर की भूमि का हिस्से विशेष की बंटवाड़ा चाहा है जो कि पूर्ण रूपेन विभाजित नहीं है अतः मौजा झाड़ेली के खेत खसरा नंबर 537/817 रकबा 4.9533 व खसरा नंबर 564 रकबा 6.6935 हैक्टेयर, खसरा नंबर 575 रकबा 4.4273 हैक्टेयर पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होने तथा पक्षकारान् के द्वारा हिस्से विशेष की भूमि बंटवारा चाहा जाने से हम वादी का वाद आंशिक स्वीकार कर प्राथमिक डिक्री किया जाना उचित समझते है।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

राजस्व वाद 374/2021
जीसीएमएस नंबर–
गंगाराम बनाम् हिम्मताराम वगैरह

– : : **आदेश** : : –

यत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 आंशिक स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री किया जाता है। बंटवाड़े हेतु प्राथमिक डिक्री इस आशय की तहसीलदार जायल को जारी कर आदेशित किया जाता है कि खसरा संख्या 564, 537/817, 714/1, 575 ग्राम झाड़ेली तहसील–जायल के वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 36 के मध्य विभाजन बाबत् प्रस्ताव राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर से प्राप्त पत्रांक : रा.म./न्याय/स्था./प–51/2008/विविध/10546 दिनांक 05.10.2020 की पालना सुनिश्चित करते हुये दो प्रतियों में तैयार कर आगामी तारीख पेशी 14/12/2021 से पूर्व भिजवाया जाना सुनिश्चित करे। तदनुसार पालना हेतु तहरीर तहसीलदार जायल को जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 22/11/2021 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

22/11/2021
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

Scanned with CamScanner

राजस्व वाद 254P/2021
जीसीएमएस नंबर–
गंगाराम बनाम् हिम्मताराम वगैरह

प्राथमिक डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला–नागौर,
व इजलास रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

वादीगण–

राजस्व वाद संख्या 254P/2021

1. गंगाराम पुत्र हिम्मताराम
2. सुखाराम पुत्र हिम्मताराम
3. सांवताराम पुत्र हिम्मताराम ,जाति–जाट निवासीगण झाड़ेली, तहसील जायल

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. हिम्मताराम पुत्र श्री भैरूराम
2. चेनी देवी पुत्री श्री हिम्मताराम
3. पूर्णाराम पुत्र श्री हिम्मताराम, जातियान जाट निवासीगण झाड़ेली, तहसील जायल
4. तहसीलदार जायल जरिये सरकार।

उपस्थिति :–

1. श्री गोविन्दराम ढाका अधिवक्ता वादी की ओर से
2. श्री रामप्रकाश बेंदा अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से।
3. प्रतिवादी संख्या 4 राजपैरोकार उपस्थित

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

– : : डिक्री आदेश : : –

यत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 आंशिक स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री किया जाता है। बंटवाड़े हेतु प्राथमिक डिक्री इस आशय की तहसीलदार जायल को जारी कर आदेशित किया जाता है कि खसरा संख्या 564, 537/817, 714/1, 575 ग्राम झाड़ेली तहसील–जायल के वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 36 के मध्य विभाजन बाबत् प्रस्ताव राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर से प्राप्त पत्रांक : रा.म./न्याय/स्था./प–51/2008/विविध/10546 दिनांक 05.10.2020 की पालना सुनिश्चित करते हुये दो प्रतियों में तैयार कर आगामी तारीख पेशी 15/12/2021 से पूर्व भिजवाया जाना सुनिश्चित करे। तदनुसार पालना हेतु तहरीर तहसीलदार जायल को जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 22/11/2021 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

22/11/2021
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल–(नागौर)

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

राजस्व वाद 264/2021
जीसीएमएस नंबर–
गंगाराम बनाम् हिम्मताराम वगैरह

तीज – **मुबलिग** – **बाबत्** –खर्चा इस मुकद्दमे के मय व भारह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख ...22/11/2021......... को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मिजान			मिजान		

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

22/11/2021

सहायक कलक्टर (उ.खं.अ.) जायल

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल (नागौर)

Scanned with CamScanner